P. G. Semester- 4th Deepika Taterway
G. E. :- Human Rights Home Science
Unit :-1 Conceptual Aspects of Human Rights Dept.
(A)Meaning and concepts of Human Rights

मानव अधिकार

मानव अधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं। यह नगर पालिका से लेकर अंतरराष्ट्रीय कानून तक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है। मानवाधिकार सार्वभौमिक है इसीलिए यह हर जगह और हर समय लागू होते हैं। मानवाधिकार मानदंडों का एक समूह है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है। नगर निगम के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कानून में कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित इन अधिकारों को अनौपचारिक मौलिक अधिकारों के रूप में जाना जाता है जिसका एक व्यक्ति सिर्फ इसीलिए हकदार है क्योंकि वह एक इंसान है।

मानव अधिकार वे मानदंड हैं जो मानव व्यवहार के मानकों को स्पष्ट करते हैं। यह अधिकार नियमित रूप से नगर पालिका और अंतरराष्ट्रीय कानून में प्राकृतिक और कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित है उनकी उम्र जातीय मूल स्थान भाषा धर्म जातीयता या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना वे सर्वत्र हर समय सार्वभौमिक होने के अर्थ में लागू होते हैं और वे सभी के लिए समान होने के अर्थ में समतावादी हैं उन्हें सहानुभूति और कानून के शासन की आवश्यकता के रूप में माना जाता है और दूसरे के मानव अधिकारों का सम्मान करने के लिए व्यक्तियों पर एक दायित्व सौंपना,, और आमतौर पर यह माना जाता है कि उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर आधार पर आधार पर नियत प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप,,उदाहरण के लिए मानवाधिकारों में गैरकानूनी कारावास यातना और फांसी से मुक्ति शामिल हो सकती है और एक इंसान होने के नाते यह वह मौलिक अधिकार हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हकदार है यह अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है।

अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक और क्षेत्रीय संस्थानों के भीतर मानव अधिकारों का सिद्धांत अधिक प्रभावशाली रहा है। राज्य

और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यवाही दुनिया भर में सार्वजनिक नीति का आधार बनती है मानवाधिकारों के विचार से पता चलता है कि अगर वैश्विक समाज के सार्वजनिक प्रवचन को एक सामान्य नैतिक भाषा कहा जा सकता है तो यह मानव अधिकारों का है मानव अधिकारों के सिद्धांतों द्वारा किए गए मजबूत दावे आज भी मानव अधिकारों की सामग्री प्रकृति और औचित्य के बारे काफी बहस उठाते हैं अधिकार शब्द का सटीक अर्थ विवादास्पद है और निरंतर दार्शनिक बहस का विषय है जबकि सर्वसम्मति है कि मानवाधिकारों में कई तरह के अधिकार शामिल हैं जैसे कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दासता से सुरक्षा नरसंहार पर रोक क शामिल किया जाना चाहिए आदि। इनमें से कौन से विशेष अधिकारों को मानवाधिकारों के ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए इस विषय में कुछ विचार को का मानना है किस सबसे बुरे मामलों से बचने के लिए की अधिकारों को सीमित किया जाना चाहिए जबकि कुछ विचारक इसे उच्च दृष्टि से देखते हैं।

(b)Types of Human Rights

मूलभूत मानव अधिकार (fundamental rights)

हमारे यहां कुछ बुनियादी मानवाधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है जिन की प्राप्ति देश के हर व्यक्ति को होनी चाहिए ऐसे ही कुछ मूलभूत मानवाधिकार निम्नलिखित रूप से है:-

1.Natural Rights

जीवन का अधिकार (Right to live) :-प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र जीवन जीने का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर इंसान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं मारे जाने का भी का भी अधिकार है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार है:-

सोच विवेक और धर्म की स्वतंत्रता (Freedom of Religious Belief) :- प्रत्येक व्यक्ति को विचार और विवेक की स्वतंत्रता है उसे अपने धर्म को चुनने की भी स्वतंत्रता है और अगर वह इसे किसी भी समय बदलना चाहे तो उसके लिए भी स्वतंत्रता है।

दासता से स्वतंत्रता (Prohibition of Slavery) :-गुलामी और दास प्रथा पर कानूनी रोक है। हालांकि अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका अवैध रूप से पालन किया जा रहा है।

अत्याचार से स्वतंत्रता (Prohibition of Torture) :-अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यात्रा देने पर प्रतिबंध है। हर व्यक्ति यातना ना सहने से स्वतंत्र है।

Civil Rights

सामाजिक अधिकार (Social Rights) :- सामाजिक अधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति को एक सभी सामाजिक जीवन एक सामान्य सामाजिक जीवन जीने का अधिकार है सामाजिक व्यक्ति होने के नाते वह समाज के द्वारा प्रदत सभी लाभों का सम्मान पूर्वक उपयोग कर सकता है।

Legal Rights

न्यायिक अधिकार (Legal Rights) :-न्यायिक अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है इसमें उचित समय के भीतर सुनवाई जनसुनवाई और वकील के प्रबंध आदि के अधिकार शामिल हैं

Political Rights

राजनीतिक अधिकार (Politlitical Rights) :-राजनीतिक अधिकारों में देश के प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष रुप से एवं समान रूप से अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार है साथ ही साथ उन्हें समान रूप से राजनीति में भाग लेने का भी अधिकार है।

अन्य सार्वभौमिक मानव अधिकारों स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा, भाषण की स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता का अधिकार, सक्षम न्यायाधिकरण भेदभाव से स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता का अधिकार और इसे बदलने की स्वतंत्रता, विवाह और परिवार के अधिकार ,आंदोलन की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार ,शिक्षा के अधिकार, शांतिपूर्ण विधानसभा और संघ के अधिकार ,परिवार घर और पत्राचार से हस्तक्षेप की स्वतंत्रता सरकार में और स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग लेने का, राय और सूचना के अधिकार पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार जो इस दस्तावेजों को अभिव्यक्त करता हो आदि शामिल है।

हालांकि कानून द्वारा संरक्षित इन अधिकारों में से कई लोगों द्वारा यहां तक कि सरकारों के द्वारा भी उल्लंघन किया जाता है। हालांकि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए कई संगठन बनाए गए हैं। यह संगठन इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाते हैं।

निष्कर्ष

कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जिन लोगों के ऊपर मानव अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी होती है वही अपने शक्ति का दुरुपयोग कर लोगों के मानवाधिकारों का हनन करने लगते हैं। इसीलिए इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए की देश के सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकारों की प्राप्ति हो।

Bibliography :-

- India, Study of a country Library of Congress of United States of America
- Kalhan, Anil ; Et al (2006) Colonial Continuities ; Rights Antiterrorism and Security of Laws in India